कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

दिनांक अप्रैल01,2013

"नीलामी सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित विभिन्न दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए पुनः दिनांक 23.04.2013 को 2.00 बजे दिन में बहुमंजिली भवन में स्थित न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0–2, में होगी। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय अवधि में केन्द्रीय नाजिर, नजारत अनुभाग से विवरण प्राप्त कर सकते है।

1– साइकिल स्टैण्ड

2– चाय मिठाई/जलपान की दुकान

3– फास्ट फूड एवं चाय काफी की दुकान

4– फोटोग्राफर की दुकान

5– फल/जूस की दुकान

6– स्टेशनरी एवं जनरल मर्चेन्ट की दुकान

नीलामी की शर्तें:–

1– जो व्यक्ति/संस्था रू0–5,000/– नगद प्रतिभू की धनराशि जमा करेगा, वही व्यक्ति नीलामी बोली में भाग ले सकेगा।

2– जो व्यक्ति/संस्था बोली के समय उपस्थित नहीं होगा, उस व्यक्ति द्वारा जमा प्रतिभू की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3– नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था अपने पहचान का प्रमाण पत्र जो अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, दाखिल करेगा।

4– नीलामी स्वीकृत होते ही नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

5– शेष नीलामी की धनराशि तीन माह में जमा करनी होगी, प्रतिभू के रुप में जमा धनराशि का समायोजन पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा।

6– शेष धनराशि तीन माह में जमा न करने की दशा में ठेका रद्द माना जायेगा तथा प्रतिभू एवं 50% जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7– जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को ठेका दिया जायेगा, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपनी दुकान का निर्माण निजी व्यय पर अस्थाई रूप से करेंगे, एंव साफ सफाई, साज–सज्जा आदि स्वयं करेंगे तथा उनका ठेका समाप्त होने पर, वह अपनी दुकान तत्काल परिसर से हटा लेंगे, अन्यथा उनकी दुकानें, उनके व्यय पर न्यायालय द्वारा हटवायी जायेंगी।

8– नीलामी के समस्त अधिकार समिति के अधीन होगें, एंव नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था तद्समय जारी निर्देशों के प्रति बाध्यकारी होगें।

आज्ञा से

1.4.13

प्रभारी अधिकारी नजारत,

अपर जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद।